बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633 / 2003)
Websitie : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com,

कार्य. अध्यक्ष
* सुरेश पासवान
मो.– 9431468605

महासचिव.
* सुशील कुमार
मो. – 9431091417, Email : shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष * विनोद आनन्द

पत्रांक 42 दिनांक 28/09/2016

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल से वार्त्ता के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संघ के सदस्यों के लम्बित विषय पर चर्चा के बिन्दु इस प्रकार है :–

(1) 41, 42 बैच के पदाधिकारी को द्वितीय एम0ए0सी0पी0 देने के संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक–8710 दिनांक–19.09.2011 के अनुसार इन सेवाओं के पदाधिकारी, जिन्हे दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से मूल कोटि का वेतनमान पी0बी0 2+5400 एवं चार वर्ष के बाद पी0बी0 3+5400 स्वीकृत है उनके मामले में प्रथम उन्नयन पी0बी0 3+5400 माना जाएगा। इन्हें द्वितीय एवं तृतीय उन्नयन क्रमशः पी0बी0 3+6600 एवं पी0बी0 3+7600 के वेतनमान में अनुमान्य होगा।

वर्त्तमान में रूपांतिरत सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना 2010 लायी गई है। वर्त्तमान योजना में एक ही ग्रेड पे में लगातार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तथा पुरे सेवा काल में अधिकतम तीन वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 'उत्क्रम' को 'योजना के अधीन परिलक्षित किए गए मूल कोटि से उच्चतर कोटि का ग्रेड पे' परिभाषित किया गया है। योजना के अधीन परिशिष्ट–1 में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्त्त एवं प्रक्रिया में भी वित्त विभाग के वेतन पुनरीक्षण संकल्प सं0–630 दिनांक–21 जनवरी, 2010 की अनुसूची–1 में वर्णित ग्रेड पे की श्रृखंला में महज उपर के ग्रेड पे में वित्तीय उन्नयन दिए जाने की व्याख्या की गई है। छठे वेतन आयोग के आलोक में गठित वेतन समिति की अनुशंसा के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पे–बैंड 2 और ग्रेड–पे 5400 (चार वर्ष की सेवा एवं सेवा सम्पुष्टि के पश्चात पे–बैंड 3 और ग्रेड पे 5400) अनुमान्य किया गया है। इस योजना में कहीं भी पे–बैंड के नामांकरण में बदलाव को वित्तीय उन्नयन परिभाषित नहीं किया गया है जो कि उचित भी है क्योंकि –

जबतक किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिलता हो तो उसे वित्तीय उन्नयन नहीं माना जा सकता है। परंतु इसे लागू करने के क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक–3ए–9 विविध 83/2009–8710 दिनांक–19.09.2010 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए रूपांतिरत सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 की दोषपूर्ण व्याख्या करते हुए एक ही ग्रेड पे–5400 में 14 वर्ष की सेवा के उपरांत पहला वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे 6600 अनुमान्य किया गया है तथा पुरे सेवा काल में तीन की जगह केवल दो वित्तीय उन्नयन यथा ग्रेड पे–6600 एवं 7600 ही अनुमान्य किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी वर्त्तमान में पे बैंड 2 एवं ग्रेड पे 5400 पर नियुक्त हो रहे है तथा उनको प्रथम नियुक्ति की तिथि को बैंड पे 14880 एवं ग्रेड पे 5400 प्राप्त हो रहा है। चार वर्षो की सेवा अवधि के बाद चार वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त इनका बैंड वेतन 17440 हो जाता है जो कि पे बैंड 3 के न्यून्तम वेतन सीमा 15600 से अधिक है। इसलिए पे बैंड 2 से पे बैंड 3 मे वेतन परिवर्त्तन के वक्त किसी प्रकार का काई आर्थिक लाभ बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को नहीं प्राप्त होता है। साथ ही उनका ग्रेड पे भी 5400 ही रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में वित्त विभाग के उपर्युक्त वर्णित दिनांक 19.09.2011 के पत्र की कंडिका–1 मे मूल कोटि में पी0बी0 2 +5400 से चार वर्ष की सेवा के बाद पी0बी0 3 +5400 को प्रथम वित्तीय उन्नयन बताया जाना ना केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि ए0सी0पी0 के मूल सिद्धांतों के भी विरूद्ध है।

41 वी, 42 वी बैच का पदस्थापन क्रमशः वर्ष 1999, 2000 में हुई है इन की सेवा अवधी क्रमशः 17, 16 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन इन्हें प्रथम एम0ए0सी0पी0 6600 ग्रेड पे प्राप्त नहीं हुआ है। 01.01.2006 के पूर्व में बैच पी0बी0–2+5400 के वेतनमान में थे ही नहीं 01.01.2006 को इनका वेतन समायोजन हुआ है जो अन्य सभी बैच के साथ हुआ है। 41, 42 वी बैच के पदाधिकारी के वेतन समायोजन को एम0ए0सी0पी0 माना जाना उचित नहीं है। वित्त विभाग के गलत व्याख्या के आधार पर भी 41, 42 बैच के पदाधिकारी को 01.01.2016 के बाद 10 वर्ष पूरी होने पर द्वितीय एम0ए0सी0पी0 6600 दिनांक–01.01.2016 में दिया जाना चाहिए था जो नहीं अद्यतन दिया गया है।

(2) वित्त विभाग के निदेश के आलोक में 41, 42, 43, 44, 45 एवं अन्य बैचों का वेतन Step Up किया जाना था जो नहीं हुआ है।

(3) ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 जो अप्राप्त है इस प्रकार है :–

(I) तृतीय एम0ए0सी0पी0 30 वर्ष की सेवा पूरी हाने पर

(II) द्वितीय एम0ए0सी0पी0 38 वी, 39 वी बैच

(III) छुटे हुए पदाधिकारी का 1st , 2nd MACP/ACP

(IV) पूर्व में 22 वर्ष पर द्वितीय MACP की गई थी जिन्हे 20 वर्ष पर द्वितीय MACP दिया जाना शेष है।

(4)

बैच	–	सेवा अवधि
40 वी बैच	–	19 वर्ष
41 वी बैच	–	17 वर्ष
42 वी बैच	–	16 वर्ष
43 वी बैच	–	12 वर्ष
44 वी बैच	–	11 वर्ष
45 वी बैच	–	11 वर्ष

19 वर्ष से 11 वर्ष की सेवा अवधी पूरी होने पर भी एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है इसके लिए आवश्यक है कि प्रोन्नति वाले पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाय साथ ही BAS Rule बनाया जाय ताकि Stagnation समाप्त हो सके।

(5) STATE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL को अंतिम रूप दिया जाय।

(6) वर्ष 13, 14, 15 के रिक्त के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भा0प्र0सेवा में प्रोन्नति में जो भी औपचारिकता शेष है उसे पूरी कर भारत सरकार को भेज़ा जाय। भविष्य में यह प्रयास हो कि हरेक वर्ष की प्रोन्नती एक वर्ष के अंतर्गत हो जाये ऐसा नहीं होने से लम्बी अवधि के बाद भा0प्र0से0 में प्रोन्नती होने के उपरांत पदाधिकारी की सेवा अवधि काफी कम रह पाता है।

अन्य बिन्दु जिस पर अमल किया जाना है इस प्रकार है :–

(I) सभी पदाधिकारी को वाहन (यथा अनुमंडलीय शिकायत निवारण पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्त्ता इत्यादि) आवासन, मोबाइल की सुविधा प्रदान की जाय।

(II) वर्त्तमान में अपर समाहर्त्ता स्तर से विशेष सचिव स्तर तक के कई पद रिक्त है जिसके प्रोन्नती हेतु काल अवधि में विशेष छुट देने की आवश्यकता है।

(III) पदाधिकारी के पदस्थापन में वरीयता पद सोपान का ध्यान रखा जाय जो पदाधिकारी जिस स्तर के है उनके लिए चिन्हित पद पर ही उनका पदस्थापन की जाय। वर्त्तमान में कई प्रोन्नत संयुक्त सचिव/अपर समाहर्त्ता/उप सचिव का पदस्थापन उनके स्तर के चिन्हित पद पर नहीं हुई है। ऐसा नहीं होने से पदाधिकारी के बीच आपसी दुर्भावना पनपता है जिसका प्रभाव सरकार के कार्य के निष्पादन पर पड़ता है।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(सुरेश पासवान)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :– संपादक सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपरोक्त वर्णित सभी बिन्दु पर सकारात्मक वार्त्ता हुई एवं शीघ्र ही अमल में लाने हेतु प्रधान सचिव ने कहा है।

(सुशील कुमार)
महासचिव